

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2478
04.08.2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में बाघों की मौत

2478. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में अवैध शिकार और प्राकृतिक कारणों से मारे गए बाघों की संख्या कितनी है; और
- (ग) राज्य में अवैध शिकार को रोकने और बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार, महाराष्ट्र में वर्तमान बाघों की संख्या 444 है।

(ख) राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में अवैध शिकार और प्राकृतिक कारणों से मारे गए बाघों की संख्या निम्नानुसार है।

क्रम सं.	वर्ष	प्राकृतिक मृत्यु	अवैध शिकार	कुल
1.	2020	3	4	7
2.	2021	6	6	12
3.	2022	1	2	3
4.	2023	6	4	10
5.	2024	4	0	4
6.	2025	0	0	0

(ग) बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. सामान्य उपाय

- "बाघ परियोजना" की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को संरक्षण, बुनियादी ढांचे और अवैध शिकार विरोधी अभियानों (बाघ संरक्षण बल और विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती सहित) के लिए सहायता प्रदान करना है, जो अब बाघ परियोजना और हाथी परियोजना की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चल रहा है।

- शिकारियों/वन्यजीव अपराधियों से संबंधित बैकवार्ड/फॉरवर्ड वास्तविक समय की जानकारी का प्रसार।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यवेक्षी क्षेत्रीय दौरे करना।
- प्रत्येक बाघ की फोटो पहचान डेटाबेस रखने के लिए कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बाघ अभयारण्य स्तर पर निगरानी शुरू करना।
- बरामद किए गए या मृत बाघों के शरीर के अंगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रत्येक बाघ की तस्वीर का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।
- फील्ड स्टाफ के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यबल तैनात करने हेतु राज्यों की सहायता करना।
- स्रोत क्षेत्र का पता लगाने के लिए बाघ क्षेत्र वाले देशों के बीच बाघों की खाल सहित शरीर के अंगों की ज़ब्ती की जानकारी साझा करना।

2. सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रत्येक बाघ अभयारण्य के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य व्यापक बाघ संरक्षण योजना में लागू है।

3. सुरक्षा लेखा परीक्षा

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सुरक्षा खतरों का आकलन करने और स्थल-विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु एक रूपरेखा विकसित की है, जिसे चरण-1 में 25 विभिन्न बाघ अभयारण्यों में पूरा कर लिया गया है और शेष बाघ अभयारण्यों के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

4. एम-स्ट्राइप्स (बाघों की गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिक स्थिति निगरानी प्रणाली)

यह एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन है, जिसमें तीन अलग-अलग मॉड्यूल हैं: गश्ती मॉड्यूल, पारिस्थितिक मॉड्यूल और संघर्ष मॉड्यूल। गश्ती मॉड्यूल, अन्य बातों के अलावा, शिकार विरोधी प्रयासों के संबंध में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तंत्र है और एम-स्ट्राइप्स के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बाघ अभयारण्य प्रबंधन के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने हेतु उपयोगी है।

5. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन

भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया और बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र से संबंधित अपराध या बाघ अभयारण्यों में शिकार या बाघ अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित अपराध के लिए दंड को बढ़ा दिया।

इसके अलावा, बाघ रिजर्व के संचालन की स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार बाघ संरक्षण, बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, पर्यावरण विकास, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, स्वैच्छिक गांव पुनर्वास के लिए बाघ क्षेत्रों वाले राज्यों को वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) की वर्तमान केंद्र प्रायोजित योजना के बाघ परियोजना घटक के तहत वित्तपोषण सहायता प्रदान की जाती है, जो वैधानिक बाघ संरक्षण योजना से निकलती है।